न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 99/2019

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र बिरदू
2. नरेन्द्र पुत्र बिरदू
3. पूरण पुत्र छीतर
4. पप्पू पुत्र छीतर

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 22.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 802/1080 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 812 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है जिन्हें वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के लगवा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आये दिन वादी की भूमि की सींव डोल में छेडछाड करते रहते है तथा वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है, वादी द्वारा फसल की सुरक्षार्थ खातेदारी भूमि की मेड पर लगे खम्भों को उखाड देते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है।

वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि की सींव डोल पर खम्भे गाडकर तारबन्दी कर रखी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त वर्णित विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादी की भूमि के पश्चिमी व पूर्वी दिशा के पडौसी खातेदार है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता आये दिन वादी की भूमि में से जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव पर लगे हुए खम्भो व तारबन्दी को तोडते रहते है तथा वादी की फसल को आवारा पशुओं से नुकसान कारित करवाते रहते है एवं विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में जबरिया व्यवधान कारित करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। इसी विधि विरूद्ध उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 17.07.2019 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर भूमि की सींव पर गडे हुए खम्भो को उखाड दिया तथा तारबन्दी को तोड़ दिया एवं वादी के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करवाकर फसल को नुकसान कारित कर दिया एवं वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे विवादग्रस्त भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देंगे, जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नही होगा, जिस पर वादी द्वारा पुलिस थाना सामोद में दिनांक 18.07.2019 को शिकायत संख्या 5710421900006 भी दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अपने उक्त कृत्यों से बाज नही आये जिस कारण वाद वादी श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर वादी को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जावें :–

(क) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नही करें, ना ही विवादित भूमि पर लगे हुए खम्भो को उखाडे, ना ही तारबन्दी को तोडे, ना ही नींव खोदें, ना ही वादी की भूमि में से जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट विजयसिंहपुरा में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 उपस्थित है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 802/1080 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 812 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 99/2019

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र बिरदू
2. नरेन्द्र पुत्र बिरदू
3. पूरण पुत्र छीतर
4. पप्पू पुत्र छीतर

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 802/1080 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 812 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 22.10.2021 को जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फीस कमिश्नर			[illegible] कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3		मीजान	2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

नोट:– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner